Smt. Shanta Singh
Sr. Asstt. Prof.
Dept. of L.S.W.
SMSRKS College, Saharsa

श्रमिक संघों के कार्य

(Functions of Trade Unions)

आधुनिक औद्योगिक देशों में श्रमिक संघ दो प्रकार के कार्य किया करते हैं- लड़ाकू (militant) कार्य एवं भाई-चारे (fraternal) के कार्य। श्रमिक संघ एक लड़ाकू संगठन है जिसका उद्देश्य श्रमिकों के हित के लिए लड़ना है। श्रमिक संघ बनाने का एक प्रमुख उद्देश्य कार्य एवं रोजगार सम्बन्धी बेहतर दशाएं प्राप्त करना है। श्रमिक संघ इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सामूहिक सौदाकारी एवं वार्ता का ढंग अपनाते हैं; किन्तु यदि वे इसमें सफल नहीं होते हैं तो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित कार्यों में लगे रहते हैं:-

(1) संघटनात्मक कार्य (Organisational functions)

श्रमिक संघ अपनी सदस्यता बनाए रखने या उसे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। जहाँ श्रमिक संघ राष्ट्र या उद्योग के स्तर पर होते हैं, वे अपनी शाखाएं स्थापित करते हैं और इन शाखाओं के माध्यम से अधिकाधिक सदस्य बनाने का प्रयास करते हैं। सदस्यता बढ़ाने या उसे कायम रखने के लिए कई बड़े-बड़े श्रमिक संघों में विशेष संगठनकर्ता भी होते हैं। इसी तरह,

Scanned with CamScanner

हड़ताल, प्रदर्शन तथा धरना आदि की स्थितियों में साधारण सदस्यों को अधिक से अधिक सक्रिय करने की चेष्टा की जाती है। जहाँ श्रमिक संघों के बीच प्रतिस्पर्द्धा या प्रतिद्वन्द्विता अधिक होती है, वहाँ संघटनात्मक कार्य और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कई स्थानीय संघ अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाने के लिए आपस में मिलकर अपना महासंघ भी बनाते हैं। सभी श्रमिक संघ अनुभव करते हैं कि जब तक उनका संगठन दृढ़ नहीं होगा तब तक वे सुचारु रूप से कार्यशील नहीं हो पायेंगे।

(2). सामूहिक सौदेबाजी और हड़ताल (Colleetive bargaining and strikes):

श्रमिक संघों के कार्यों में सामूहिक सौदेबाजी का विशेष महत्व है। जब से श्रमिक संघों को विधिक मान्यता मिली, वे नियोजकों के साथ सामूहिक सौदेबाजी करते आये हैं। सामूहिक सौदेबाजी में श्रमिक संघों के प्रतिनिधि नियोजक से मजदूरी, कार्य के घंटों, कार्य की शर्तों एवं दशाओं, कल्याणकारी सुविधाओं तथा अन्य कई विषयों पर विचार-विमर्श करते हैं और समझौते के लिए दबाव डालते हैं। समझौता हो जाने पर उसे सामान्यतः लिख दिया जाता है। लिखित समझौते पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर भी होते हैं। कई समझौते मौखिक होते हैं। सामूहिक समझौते साधारणतः निर्धारित अवधि तक लागू रहते हैं।

Scanned with CamScanner

सामूहिक समझौते प्रतिष्ठान, कम्पनी, उद्योग या अन्य स्तरों पर हो सकते हैं। सामूहिक समझौते के अन्तर्गत आने वाले विषयों की कोई सीमा नहीं होती। वे मजदूरी, कार्य के घंटों, कार्य की शर्तों एवं दशाओं के अतिरिक्त कल्याणकारी सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा, उत्पादकता, बोनस, अवकाश, पदोन्नति, नियोजन, प्रशिक्षण, आदि अनेक विषयों पर हो सकते हैं। कुछ देशों में कानून बनाये गये हैं, जिनके अनुसार नियोजक श्रमिक संघों के साथ सामूहिक सौदेबाजी करने से इनकार नहीं कर सकते। कुछ देशों में सामूहिक समझौते कानूनतः लागू होते हैं, लेकिन कुछ देशों में वे ऐच्छिक प्रकृति के होते हैं।

सामूहिक समझौते की सफलता के लिए हड़ताल का अधिकार आवश्यक होता है। हड़ताल के अधिकार के बिना सामूहिक सौदेबाजी अर्थहीन होती है। जब नियोजक श्रमिक संघों के साथ बात-चीत करने से इनकार करते हैं या अपनी अनिच्छा दिखाते हैं तो श्रमिक संघ हड़ताल की धमकी देते हैं या वास्तव में हड़ताल घोषित करते हैं। हड़ताल श्रमिक संघों के शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण शस्त्र होता है। जब श्रमिक हड़ताल के कारण काम करना बन्द कर देते हैं तो उत्पादन बन्द हो जाता है और नियोजक को अन्य प्रकार की हानियाँ उठानी पड़ती हैं। हड़ताल के कारण नियोजक पर आर्थिक दबाव पड़ता है और वह श्रमिक संघ के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो जाता है।

Scanned with CamScanner

राजनीतिक दल भी बनाएँ हैं। उदाहरणार्थ, ग्रेट-ब्रिटेन में वहाँ के राष्ट्रीय स्तर के श्रमिक संघों के अत्यन्त ही प्रभावशाली महासंघ ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस (Trade Union Congress) ने लेबर पार्टी (Labour Party) की स्थापना की। ग्रेट-ब्रिटेन में लेबर पार्टी कई बार सत्ता में आ चुकी है। अपने शासन-काल में लेबर पार्टी ने श्रमिकों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। भारत में श्रमिक संघों ने अपने अलग राजनीतिक दल नहीं बनाये हैं, लेकिन उनके राष्ट्रीय केन्द्र एक या दूसरे राजनीतिक दल से सम्बन्धित हैं। उदाहरणार्थ, कांग्रेस नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC) का सम्बन्ध कांग्रेस पार्टी से, किन्तु मजदूर सभा (HMS) का समाजवादी दलों से, तथा ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) का कम्युनिस्ट पार्टी से है। श्रमिक संघों के राष्ट्रीय केन्द्र अपने-अपने राजनीतिक दलों की सहायता से या स्वतंत्र रूप से श्रम के हित में कदम उठाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं।

इसके अतिरिक्त, कई श्रमिक संघ अपने सदस्यों की राजनीतिक शिक्षा के भी कार्यक्रम चलाते हैं। राज्य के तत्वावधान में बनाये गये कई संगठनों, समितियों, बोर्डों या अन्य संस्थाओं में भी श्रमिक संघों के प्रतिनिधि होते हैं और वे सरकारी नीतियों के निर्धारण या उनके कार्यान्वयन में सक्रिय भाग लेते हैं। कहीं-कहीं

Scanned with CamScanner

श्रमिक संघ क्रान्तिकारी प्रकृति के होते हैं और वे क्रान्ति के माध्यम से राजनीतिक तथा आर्थिक सत्ता श्रमिकों के हाथ सुपुर्द करना चाहते हैं। सिन्डिकलिस्ट प्रकार के श्रमिक संघों की गणना इसी श्रेणी में होती है।

(4) कल्याणकारी कार्य (Welfare activities)

आरम्भ से ही, श्रमिकसंघ अपने सदस्यों के लिए कल्याणकारी कार्य करते आ रहे हैं। सिडनी वेब (Sydney Webb) ने इन कल्याणकारी कार्यों को पारस्परिक बीमा (mutual insurance) की संज्ञा दी। पहले, जब राज्य तथा नियोजक श्रमिकों के लिए कल्याणकारी सुविधाएँ प्रदान करने के प्रति उदासीन थे, तो श्रमिक संघों ने अपने कोषों से ही इस प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास किया। कल्याणकारी सुविधाओं की मात्रा श्रमिक संघों के कोष की मात्रा पर ही आश्रित होती है। अगर श्रमिक संघ की आय अधिक है तो वह अपने सदस्यों के लिए बड़ी मात्रा में कल्याणकारी सुविधाएँ प्रदान कर सकता है। अगर श्रमिक संघ की आय कम है तो वह इन सुविधाओं की व्यवस्था करने में असमर्थ होता है। श्रमिक संघों द्वारा अपने सदस्यों को प्रदान की जाने वाली कल्याण करी सुविधाओं में आकस्मिकता की स्थिति में आर्थिक सहायता, श्रमिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक सुविधाएँ, सहकारी समिति, आवासीय सुविधा, सामुदायिक विकास आदि मुख्य हैं।

Scanned with CamScanner